



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 01.06.2025

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 208/25 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस व धारा 3/2(5) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 02 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि कमल पुत्र डैडछैल कुमार निवासी काशीराम कॉलोनी, थाना मझौला जनपद मुरादाबाद की मृत्यु अपनी ससुराल (धामपुर) में हो गयी थी । मृतक के पिता डैडछैल (सेवानिवृत्त निरीक्षक) द्वारा अपने पुत्र की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होने के कारण हत्या का शक जाहिर किया गया था, जिस कारण पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा प्रिजर्व किया गया था । FSL रिपोर्ट में एल्युमिनियम फॉस्फाइड विष की पुष्टि हुई है ।



तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर दिनांक 31.05.2025 को मु0अ0सं0 208/25 धारा 103(1)/238/3(5) BNS व 3(2)5 SC/ST Act बनाम महिपाल आदि (कुल 07 नामजद) के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.महिपाल सिंह पुत्र रामशरण सिंह व 2.अर्चना पुत्री महिपाल सिंह निवासीगण मौ0 लोहियान साकेत विहार कॉलोनी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त महिपाल उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी बेटी अर्चना का कमल से प्रेम प्रसंग था, जिस कारण उन्होने कोर्ट मैरिज कर ली थी परन्तु कमल ने अर्चना के घरवालों से अपनी जाति छिपायी । बाद में अर्चना व अर्चना के परिवारजनो के सामने कमल व उनकी अलग-अलग जाति पता चलने पर सामाजिक बदनामी की आशंका के चलते अर्चना व अर्चना के पिता द्वारा कमल उपरोक्त की विष देकर हत्या की गयी । अभियोग में नामित मृतक की सास ऊषा व अर्चना का सगा भाई व अर्चना के चचेर/तहेरे भाईयो के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. महिपाल सिंह पुत्र रामशरण सिंह निवासी मौ० लोहियान साकेत विहार कॉलोनी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
2. अर्चना पुत्री महिपाल सिंह निवासी मौ० लोहियान साकेत विहार कॉलोनी कस्बा व थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

01. महिला निरीक्षक रीता कुमारी थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
02. उ०नि० साजिद अली थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
03. आरक्षी अंकित थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।
04. महिला आरक्षी प्रवीणा थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना बढापुर

दिनांक – 01.06.2025

थाना बढापुर पुलिस ने मु0अ0सं0 89/25 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.05.2025 को वादी ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त हिमान्शु पुत्र यशपाल निवासी ग्राम हमजापुर कठैडा थाना बढापुर जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा अगले दिन गांव के बहार रास्ते पर छोडकर भाग गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 89/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई ।



कार्यवाही –

थाना बढापुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हिमान्शु पुत्र यशपाल निवासी ग्राम हमजापुर कठैर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

हिमान्शु पुत्र यशपाल निवासी ग्राम हमजापुर कठैर थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 89/25 धारा 137(2)/ 65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

01. प्रभारी निरी0 मृदुल कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
02. उ0नि0 ललित मोहन शर्मा थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
03. मुख्य आरक्षी दीपक कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
04. आरक्षी आनन्द कुमार थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 01.06.2025

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.06.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नगीना	शाहिद हुसैन पुत्र अ० शकूर निवासी ग्राम जमालपुर बांगर थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
2	नहतौर	केशव पुत्र इन्दर सिंह नि० ग्राम नूरपुर खेडकी थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
3	नहतौर	शादाब पुत्र हसीनुद्दीन नि० ग्राम सलारपुर शफकतपुर थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
4	नांगल	ललित कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह नि० हरचन्दपुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ।





जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना हल्दौर

दिनांक – 01.06.2025

थाना हल्दौर पुलिस ने मु0अ0सं0 115/25 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.05.2025 को वादी ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त 1.रोहित पुत्र रामफूल व 2.निकूल पुत्र प्रमोद पुत्र निवासीगण ग्राम रणखंडी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर व 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी व अन्य व्यक्तियों को जाति सूचक शब्द कहते हुए गाली-गलौच व मारपीट की गई तथा जान से मारने कि नियत से धारदार हथियार से वार किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 115/25 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र रामफूल निवासी ग्राम रणखंडी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रोहित पुत्र रामफूल निवासी ग्राम रणखंडी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

01. उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
02. आरक्षी निर्दोष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 01.06.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 472/2025 धारा
69/115(2)/352/351(3)/191(2)में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.5.2025 को वादिया ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त चन्दन वर्मा पुत्र नीटू वर्मा नि0 कांशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर ने वादिया को प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर गलत कार्य किया तथा वर्ष 2023 में चन्दन वर्मा ने वादिया को घर ले जाकर तिलक जैसी रस्म भी करवायी व बाद में शादी के लिए मना कर दिया । अभियुक्त चन्दन व उसके परिजन व दो तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात वादिया के घर में जबरन घुस आए और गाली-गलौज व मारपीट करते हुए जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया व तेजाब डालकर जान से मारने की धमकी दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 472/2025 धारा 69/115(2)/352/351(3)/191(2) पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त चन्दन वर्मा पुत्र नीटू वर्मा नि0 कांशीराम कालोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

चन्दन वर्मा पुत्र नीटू वर्मा नि0 कांशीराम कालोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1 म0उ0नि0 ममता थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2 का0 1036 सुमित कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 01.06.2025

थाना मण्डावर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को एक अवैध देशी बन्दूक 12 बोर सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही –

दिनांक 01.06.2025 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.दीप पुत्र अशोक विश्वास 2.मिथुन पुत्र जोधु निवासीगण ग्राम चंदपुरा बंगाली कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध बंदूक 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 104/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.दीप पुत्र अशोक विश्वास निवासी ग्राम चंदपुरा बंगाली कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.मिथुन पुत्र जोधु निवासी ग्राम चंदपुरा बंगाली कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक अवैध बंदूक 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री आदेश कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 572 हरेन्द्र थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1181 हरेन्द्र थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 4.कां0 1256 विपिन तोमर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 5.कां0 418 दिनेश कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 01.06.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 306/25 धारा 85/115(2)/352/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.05.2025 को वादी श्री सुक्खे खां पुत्र ईलाही बख्श निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री शमा को उसके ससुरालीजन 1.नदीम(पति) पुत्र सरफराज 2.खेरूल निशा(सास) पत्नी सरफराज 3.रुबिना(नन्द) पुत्री सरफराज 4.सलमान(देवर) पुत्र सरफराज 5.सरफराज(ससुर) निवासीगण ग्राम बास्टा थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर दहेज के लिये मारपीट एवं प्रताडित करते थे व अभियुक्ता खेरूल निशा, रुबिना एवं सरफराज ने वादी की पुत्री को जहर दे दिया, जिससे वादी की पुत्री की मृत्यु हो गयी । इस सम्बंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 306/2025 धारा 85/115(2)/352/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम नदीम आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 01.06.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त नदीम पुत्र सरफराज निवासी ग्राम बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नदीम पुत्र सरफराज निवासी ग्राम बास्टा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री संदीप पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. का0 386 सोहित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. का0 2453 विकास कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



BIJNOR POLICE



माह मई – 2025

बिजनौर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन स्माईल" अभियान के अन्तर्गत माह मई में कुल – 70 गुमशुदा एवं अपहृताओं को बरामद किया गया:-

बिजनौर पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन स्माईल" के अन्तर्गत माह मई में जनपद के विभिन्न थानों पर पंजीकृत 69 अभियोगों में 70 गुमशुदा एवं अपहृताओं को सकुशल बरामद कर अग्रिम कार्यवाही की गयी। इस अभियान के अन्तर्गत जनपद के सभी थानों पर पुलिस टीमों का गठन कर बरामदगी हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा गुमशुदा एवं अपहृताओं/अपहृतों को सकुशल बरामद किया गया है।

क्र०सं०	थाना	मु०अ०सं०	धारा
1	कोतवाली शहर	381 / 25	87 बीएनएस
2	कोतवाली शहर	384 / 25	87 बीएनएस
3	कोतवाली शहर	420 / 25	87 बीएनएस
4	कोतवाली शहर	453 / 25	87 बीएनएस
5	हल्दौर	127 / 25	87, 351(2), 352 बीएनएस
6	हल्दौर	136 / 25	137(2) बीएनएस
7	मण्डावर	71 / 25	137(2) बीएनएस वृद्धि धारा 87,64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट
8	मण्डावर	80 / 25	137(2) बीएनएस
9	नजीबाबाद	159 / 25	137(2), 351(2), 352 बीएनएस
10	नजीबाबाद	169 / 25	137(2) बीएनएस
11	नजीबाबाद	120 / 25	137(2) बीएनएस

12	नजीबाबाद	152 / 25	137(2) बीएनएस
13	नजीबाबाद	141 / 25	87 बीएनएस
14	नजीबाबाद	149 / 25	137(2) बीएनएस
15	नजीबाबाद	154 / 25	137(2) बीएनएस
16	नजीबाबाद	165 / 25	87, 352 बीएनएस
17	किरतपुर	127 / 25	87 बीएनएस
18	किरतपुर	89 / 25	87 बीएनएस
19	किरतपुर	131 / 25	87 बीएनएस
20	किरतपुर	120 / 25	87 बीएनएस
21	मण्डावली	16 / 25	87, 115(2), 352 बीएनएस
22	मण्डावली	44 / 25	137(2) बीएनएस
23	मण्डावली	51 / 25	137(2) बीएनएस
24	नांगल	57 / 25	137(2) बीएनएस
25	नांगल	68 / 25	87 बीएनएस
26	नांगल	69 / 25	87 बीएनएस
27	चांदपुर	09 / 25	87 बीएनएस
28	चांदपुर	221 / 25	137(2) बीएनएस
29	चांदपुर	277 / 25	87 बीएनएस
30	चांदपुर	259 / 25	137(2) बीएनएस
31	चांदपुर	268 / 25	87 बीएनएस
32	चांदपुर	269 / 25	137(2) बीएनएस
33	नूरपुर	156 / 25	137(2) बीएनएस
34	नूरपुर	169 / 25	87 बीएनएस
35	शिवाला कला	65 / 25	87 बीएनएस
36	शिवाला कला	67 / 25	137(2) बीएनएस वृद्धि धारा 191(2),190,103(1),238,140(2) बीएनएस
37	नगीना	87 / 25	137(2) बीएनएस
38	कोतवाली देहात	87 / 25	137(2) बीएनएस
39	कोतवाली देहात	97 / 25	87 बीएनएस
40	कोतवाली देहात	60 / 25	87 बीएनएस
41	कोतवाली देहात	56 / 25	137(2) बीएनएस
42	कोतवाली देहात	83 / 25	137(2) बीएनएस

43	कोतवाली देहात	100 / 25	87 बीएनएस
44	बढापुर	61 / 25	87, 333, 352, 351(2) बीएनएस
45	बढापुर	67 / 25	87 बीएनएस
46	बढापुर	69 / 25	137(2) बीएनएस
47	बढापुर	75 / 25	137(2), 87, 351(2) बीएनएस
48	नगीना देहात	111 / 25	87 बीएनएस
49	धामपुर	144 / 25	87 बीएनएस
50	धामपुर	117 / 25	87 बीएनएस
51	धामपुर	141 / 25	87 बीएनएस
52	धामपुर	186 / 25	87, 61(2) बीएनएस
53	धामपुर	169 / 25	87 बीएनएस
54	धामपुर	188 / 25	87 बीएनएस
55	धामपुर	191 / 25	137(2) बीएनएस
56	धामपुर	193 / 25	87 बीएनएस
57	स्योहारा	151 / 25	87, 61(2) बीएनएस
58	स्योहारा	186 / 25	137(2) बीएनएस
59	स्योहारा	195 / 25	87 बीएनएस
60	स्योहारा	188 / 25	87 बीएनएस
61	नहतौर	72 / 25	87 बीएनएस
62	नहतौर	422 / 24	137(2) बीएनएस
63	नहतौर	82 / 25	87 बीएनएस
64	अफजलगढ	139 / 25	137(2) बीएनएस
65	अफजलगढ	148 / 25	87 बीएनएस
66	अफजलगढ	144 / 25	137(2) बीएनएस व 5एम / 6 पोक्सो एक्ट
67	शेरकोट	84 / 25	87 बीएनएस
68	शेरकोट	86 / 25	137(2) बीएनएस
69	रेहड	37 / 25	137(2) बीएनएस